आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या–38/2015

धारा 145 दण्ड प्रक्रिया संहिता

श्रीमति नागमति देवी —————— प्रथम पक्ष

बनाम्

लक्ष्मण यादव वगैरह —————— द्वितीय पक्ष

05.02.2019 यह वाद प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र के आधार पर ग्राम– भौरहा, खाता सं0– 08, प्लॉट सं0– 23, रकबा– 0.04 3/4 एकड़, चौहद्दीः– उतर– लक्ष्मण यादव, दक्षिण– भोला यादव, पूरब– नाला, पश्चिम– रोड की भूमि पर धारा 145 दं0प्र0सं0 कि प्रकिया प्रारम्भ कर उभय पक्षों को नोटिस निर्गत किय गया। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं लिखित कथन दाखिल किये। द्वितीय पक्ष के द्वारा एक गवाही पूर्ण कराने के उपरांत उनके न्यायालय में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण इस वाद में एक पक्षिय कार्रवाई प्रारम्भ की गई। प्रथम पक्ष द्वारा लिखित जबाव दाखिल करते हुए अपना दस्तावेजीय एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

प्रथम पक्ष के लिखित कथन का सार यह है कि ग्राम– भौरहा, खाता सं0– 8, प्लॉट सं0– 23, रकबा– 0.04 3/4 एकड़ पर द्वितीय पक्ष के लक्ष्मण यादव का संपूर्ण हक, दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार था तथा द्वितीय पक्ष के सदस्य सं0– 1

P 17/7-3-19

5/2/19

क्रम र	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवा टिप्पणी सहित
	2	

लक्षुमण यादव ने निबंधित विकय पत्र सं0— 9098 दिनांक 08.10. 2002 के द्वारा इस वाद की भूमि को प्रथम पक्ष के नागमति देवी के पक्ष में भूमि विकी कर दखल— कब्जा सौंप दिया। उक्त भूमि का नामांतरण अंचल कार्यालय, हरिहरगंज से कराकर सरकार को मालगुजारी देकर लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। लक्षमण यादव के द्वारा प्रथम पक्ष के नागमति देवी के पक्ष में भूमि विकी करने उपरांत द्वितीय पक्ष के लोगों के उक्त भूमि पर विवाद उत्पन करने का कोई अधिकार नहीं है। द्वितीय पक्ष जानबुझ कर प्रथम पक्ष के दखल— कब्जा को प्रभावित करना चाहते हैं।

द्वितीय पक्ष के लिखित कथन का सार यह है कि ग्राम— भौरहा, खाता सं0— 8, प्लॉट सं0— 23, रकबा— 0.04 3/4 एकड़ पर प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र के आलोक में यह मुकदमा प्रारंभ किया गया है। खाता सं0— 8 के खतियानी रैयत शिवचरण अहीर, बालगोविन्द अहीर एवं बालची अहीर पिता— छतरधारी अहीर कौम अहीर साकिन देह बहिस्सा बराबर गत सर्वे खतियान में दर्ज है। खतियानी रैयत के वंशावली से द्वितीय पक्ष का दावा स्पष्ट होता है। ग्राम— भौरहा के खाता सं0— 8 के अंतर्गत प्लॉटों का आपस में खतियानी रैयत के बीच बटवारा हुआ और बटवारा में खतियानी रैयत तीनो को आपस में बराबर— बराबर हिस्सा मिला जिसके अनुसार तीनो दखल— कब्जे में आये तथा रामदेव यादव के मृत्यु के बाद उनके पुत्र देवचन्दी यादव, किशुनचन्दी यादव एवं रामदेव यादव दखल— कब्जे में आये रामदेव यादव के मृत्यु के बाद उनके संपति पर उनके पुत्र भेला यादव, लक्षुमण यादव एवं जयराम यादव का आज भी दखल —

5/2/19

क्रम ...र	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे... कार... टिप्... सहि...
	2	

कब्जा है। बालची अहीर के मात्र दो पुत्री थी और बालची अहीर के मृत्यु के बाद उनकी पुत्री उनकी संपति की उतराधिकारी हुई और दोनो का शांतिपूर्ण दखल– कब्जा हुआ। बालची अहीर की पुत्री रजमतिया देवी से रामदेनी प्रसाद यादव, रामलगन प्रसाद यादव दोनो पिता– स्व0 देवकी प्रसाद यादव उर्फ देवकी महतो, गणेश प्रसाद यादव वल्द श्री झाझु प्रसाद यादव, हरिहर प्रसाद यादव, राम प्रसाद यादव, राम केशो सिंह यादव, बासुदेव प्रसाद यादव, पदारथ प्रसाद यादव, अर्जुन प्रसाद यादव सभी पेशरान देवचनी प्रसाद यादव, किशुनचन्दी महतो पिता– स्व0 बालगोविन्द महतो, भोला प्रसाद यादव, लक्ष्मण प्रसाद यादव, जयराम प्रसाद यादव सभी पेशरान स्व0 रामदेव प्रसाद यादव मौजा– भौरहाके खाता सं0– 8, रकबा– 11.74 1/2 एकड़ भूमि निबंधित विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 01.04.1971 को खरिद किया और खरिदगी के पश्चात नामांतरण कराकर लगान रसीद प्राप्त करते चले आ रहे हैं। द्वितीय पक्ष उक्त खाता प्लॉट के खरिददार एवं हिस्सेदार दोनो हैं और शांतिपूर्ण दखल– कब्जा में हैं। प्रथम पक्ष जिस विक्रय पत्र के आधार पर दावा करते हैं वह जाली है और प्रथम पक्ष का कभी भी उक्त भूमि पर दखल– कब्जा नहीं रहा है।

प्रथम पक्ष की ओर से तीन एवं द्वितीय पक्ष की ओर से एक साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है:–

<u>प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 01</u> :– नागमणि कुंवर पिता– स्व0 महादेव यादव, ग्राम– भौरहा, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने वाद भूमि पर प्रथम पक्ष के दखल– कब्जा होने का दावा किया है।

क्रम और	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	2

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 02 :– तुलसी यादव पिता– स्व0 किशुन यादव, ग्राम– सरसोत, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने वाद भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा होने का दावा किया है परंतु प्रति परीक्षण में मवेसी एक साथ चराते हैं इसलिए प्रथम पक्ष के पक्ष में गवही देने की बात कही है।

प्रथम पक्ष साक्षि संख्या– 03 :– महबीर यादव पिता– स्व0 श्रीकेशर यादव, ग्राम– भौरहा, थाना– हरिहरगंज, जिला– पलामू ने वाद भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा होने का दावा किया है।

द्वितीय पक्ष साक्षि संख्या– 01 :– नारद यादव पिता– स्व0 ब्रह्मदेव यादव, ग्राम– तिलैया, थाना– छत्तरपुर, जिला– पलामू के द्वारा प्रति परीक्षण में वाद भूमि पर प्रथम पक्ष के द्वारा जोत– कोड़ एवं दखल– कब्जा होने का दावा किया गया है।

प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल निबंधित विकय पत्र सं0– 9098 दिनांक 08.10.2002 को प्रदर्श– "A", एवं सरकारी लगान रसीद सं0– 3570921 को प्रदर्श– "B" के रूप में अंकित किया गया है।

उभय पक्ष के मौखिक साक्ष्यों एवं प्रथम पक्ष के दस्तावेजीय साक्ष्यों के अवलोकन एवं परिशीलन से यह न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुँचती है कि विवादी भूमि पर प्रक्रिया प्रारम्भ होने कि तिथि से पूर्व प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा विद्यमान रहा है और इस प्रकार प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल– कब्जा घोषित किया जाता है तथा द्वितीय पक्ष के सदस्यों को प्रक्रिया अंतर्गत भूमि पर जाने से तब तक के लिये रोक लगाई जाती है जब तक

	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	2	
	सक्षम न्यायालय के द्वारा अन्यथा कोई आदेश पारित न हो जाय। लेखापित एवं संशोधित। कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। कार्यपालक दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by HEERA KUMAR
Date: 2024.07.24 14:02:02 +05:30
Location: 10.93.53.213